बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 2/अ0प्र0–1–99/2022 1212 /पटना, दिनांक :– 17-5-23

औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न पथों के Ongoing/Maintenance कार्यों की राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 643 दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में कई त्रुटियॉ/अनियमितता प्रतिवेदित की गई। उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कार्य प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत पैकेज सं0 BR02R832-Construction of Bridge over Ramrekha River पुल के निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितता के संबंध में श्री दिनेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को विभागीय पत्रांक 2165 दिनांक 19.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया परन्तु श्री सिंह द्वारा इस संबंध में ससमय अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

2. जॉच प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियॉ/अनियमितता से स्पष्ट हुआ कि कार्य के पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अतएव मामले की समीक्षोपरान्त उक्त अनियमितता के लिए श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में विभागीय अधिसूचना सं0 115–सहपठित ज्ञापांक– 116 दिनांक 11.01.2023 द्वारा श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. श्री सिंह के विरूद्ध कार्य प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत निर्माणाधीन पुल Construction of Bridge over Ramrekha River (BR02R832) में पाई गई त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अधिसूचना सं0 211 सह–पठित ज्ञापांक 212 दिनांक 18.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. आरोप पत्र में उल्लेखित त्रुटियॉ निम्नवत् है–

Construction of Bridge over Ramrekha River (BR02R832)-

(a) Return Wall में Honeycombs पाये गये।

(b) Abutment के पीछे Filter Media का कार्य किया हुआ नहीं पाया गया।

(c) Expansion joints में Elastomer/Strip seal के स्थान पर थर्मोकोल का प्रयोग किया गया है।

(d) Rain water के Damage हेतु प्रावधानित Drainage spouts की जगह Plastic Piper का प्रयोग किया गया है।

(e) Bearings are surrounded by debris.

(f) Wearing coat has not been done in panels.

(g) दोनों Abutment में Weep holes का कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं है।

(h) Girders के Soffit तथा face से चिपके हुए एवं लटके हुए Plastic sheet दृष्टिगोचर हैं।

(i) पुल में पश्चिमी पहुँच पथ में Embankment में Subgrade की जगह मिट्टी का ही कार्य कर दिया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 702 दिनांक 10.03.2023 के माध्यम से उक्त विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री दिनेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य अंकित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य अंकित किया गया कि–

आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं समर्पित मापी पुस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके द्वारा मात्र 1st On A/c Bill का जॉच किया गया था, जिसमें केवल Earth Work in excavation, Pile work in foundation तथा Abutment A1 के Pile Cap में केवल reinforcement का कार्य किया गया था, जिसकी पुष्टि मापी पुस्त में दर्ज Entry से होती है। 1st On A/c Bill तैयार किये जाने के पश्चात विभागीय अधिसूचना सं. 3646 दिनांक 30.06.2022 के अनुपालन में दिनांक 06.07.2022 को अपना प्रभार अन्य सहायक अभियंता को सौंप दिया था।

आरोप पत्र में वर्णित सभी कार्य Substructure, Super structure एवं पहुँच पथ से संबंधित है। जबकि इनके द्वारा Foundation स्तर पर कार्य के क्रम में अपने प्रतिस्थानी को प्रभार सौंप दिया गया था। अतएव Substructure, Super structure एवं पहुँच पथ में परिलक्षित त्रुटि का आरोप प्रमाणित नहीं है।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह दिनांक 06.07.2022 तक ही कार्य प्रमंडल औरंगाबाद में पदस्थापित थे एवं उक्त अवधि में पुल का मात्र Foundation स्तर तक कार्य हुआ था जबकि आरोप पत्र में वर्णित सभी कार्य Substructure, Super structure एवं पहुँच पथ से संबंधित है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

7. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री दिनेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/5/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–99/22 1213 /पटना, दिनांकः– 17.5.23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–99/22 1213 /पटना, दिनांकः– 17.5.23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–99/22 1213 /पटना/दिनांकः– 17.5.23

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/भभुआ/प्रशाखा पदाधिकारी–5/प्रशाखा पदाधिकारी–12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–99/22 1213 /पटना/दिनांकः– 17.5

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–99/22 1213 /पटना/दिनांकः– 17.5

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/5/2023

विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih